कार्यालय अधिशासी अभियंता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक 133 / कार्य-74 / 133 दिनांक : 23/5/2026

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी / सदस्य सचिव,
जिला गंगा समिति,
गौतमबुद्धनगर।

विषयः– गौतमबुद्धनगर जनपद में पडने वाली हिण्डन नदी के दोनों ओर के क्षेत्र के सौन्दर्यकरण एवं प्रदूषण रोकथाम के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक 4450 / 29–1 दिनांक 27.02.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। उक्त पत्र के माध्यम से आपके द्वारा अधिशासी अभियंता, सिचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद के पंत्राक–3558 दिनांक 05.12.2024 एवं शासनादेश संख्या–01 / 76–2–2026–ई0–1609058 नमामि गंगे एवं जलापूर्ति अनुभाग–2 दिनांक 12.01.2026 (छायाप्रति संलग्न) के कम में नदियों के पुनरोद्धार एवं कायाकल्प से सम्बन्धित कार्य व घाटों के निर्माण, सफाई एवं रखरखाव कार्य से सम्बन्धित विस्तृत योजना कराने की मांग की गई है। आपके द्वारा उपरोक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या–1 में उल्लिखित छोटी एवं सहायक नदियों पुनरोद्धार हेतु नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग नोडल विभाग होगा का उल्लेख करते हुए कार्ययोजना उपलब्ध कराने की मांग की गई है।

आपके उपरोक्त पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अन्तर्गत विभिन्न विभाग सम्मिलित है। छोटी एवं सहायक नदियों पुनरोद्धार हेतु नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग शासन स्तर पर नोडल विभाग है। शासनादेश के बिन्दु संख्या–4 में स्पष्ट किया गया है कि विभिन्न विभागों द्वारा क्या–क्या कार्यवाही की जानी है। उक्त शासनादेश में कही पर भी उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), द्वारा किसी भी कार्य को किये जाने का उल्लेख नही किया गया है। अधोहस्ताक्षरी की जानकारी के अनुसार नदियो पर सिचाई विभाग का स्वामित्व है तथा शासनादेश में भी उल्लिखित किया गया है कि सिचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा जल प्रवाह के प्रबन्धन, नहरो के रखरखाव ओर सिचाई के लिए पानी के उचित वितरण में शामिल नदी की डीसिल्टेशन, चैनेलाईजेशन, कोर्स करैक्शन, प्रर्याप्त जल उपलब्धता के लिए कन्वरजेंन्स से कार्य कराये जायेगे। अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि नदियों से सम्बन्धित समस्त कार्य सिचाई विभाग द्वारा कराये जाने है। सिचाई विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अन्तर्गत जनपद बलिया में घाट के निर्माण आदि कार्य भी कराये जा रहे है जिसके साक्ष्य हेतु भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास ओर गंगा संरक्षण विभाग, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली के पत्र संख्या–Pr-23012/12/2022 दिनांक 14.12.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा सिचाई विभाग को शिवपुरी घाट / सति घाट जनपद बलिया, उत्तर प्रदेश में घाट के निर्माण कार्य हेतु सिचाई विभाग, जनपद बलिया, उत्तर प्रदेश को कार्यदायी संस्था नियुक्त किया गया है। उक्त से भी स्पष्ट है कि नदी से सम्बन्धित कार्य सिचाई विभाग द्वारा ही कराये जाने है। सिचाई विभाग द्वारा अनावश्यक रूप से उक्त कार्यो के संबध में भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जा रही है। यह भी अवगत है कि उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), द्वारा नदियों में गिर रहे नालों पर Interception & Diversion (I&D) & Sewage Treatment Plant (STP) Works के कार्य कराये जाते है।

अतः अनुरोध है कि कृप्या अपने स्तर से सम्बन्धित को नदियों के पुनरोद्धार एवं कायाकल्प से सम्बन्धित कार्य व घाटों के निर्माण, सफाई एवं रखरखाव कार्य से सम्बन्धित विस्तृत योजना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करे।

सलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(भारत भूषण)
अधिशासी अभियंता

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसारः–

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियंता (मेरठ क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ।
2. जिलाधिकारी महोदया, गौतमबुद्धनगर।
3. मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर को उनके कार्यालय पत्रांक–1174 दिनांक 12.03.2026 के कम में।
4. अधीक्षण अभियन्ता मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ।
5. अधिशासी अभियंता, सिचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।

अधिशासी अभियंता

G:/Letter File.docs-747

Scanned with OKEN Scanner

R-1803

कार्यालय आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।

पृष्ठांकन संख्या– R-1803 दिनांक– 16.01.2026

जिलाधिकारी, मेरठ/गाजियाबाद/गौतमबुद्धनगर/बुलंदशहर/बागपत/हापुड़

कृपया उपरोक्तानुसार समयबद्ध रूप से नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित।

(रतन कुमार)
प्रशासनिक अधिकारी
कृते आयुक्त।

संख्या-01/76-2-2026-E-1609058

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला गंगा समिति, उ0प्र0।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 12 जनवरी, 2026

विषय: छोटी एवं सहायक नदियों के पुनरोद्धार और कायाकल्प कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि मा० मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 सरकार की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 28.06.2025 के कार्यवृत्त संख्या-39/स0पै0/34-लो0शि0-4/2025, दिनांक 30.06.2025 में निम्नवत् निर्देश प्रदान किये गये हैं:-

1. छोटी एवं सहायक नदियों के पुनरोद्धार हेतु 'नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग' नोडल विभाग होगा। नदी पुनरोद्धार के लिए सिंचाई विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, नगर विकास विभाग, लघु सिंचाई विभाग एवं पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग को सहयोग प्रदान किया जायेगा। नदियों के पुनरोद्धार हेतु निम्न कार्यवाहियों प्राथमिकता पर की जानी है:-

(क) पुनरोद्धार हेतु चिन्हित नदी स्रोत से लेकर बड़ी नदी में मिलने तक पूर्ण रूप से चिन्हित की जाए तथा जिन जनपदों से यह पास हो, उन सभी जनपदों द्वारा "संयुक्त कार्ययोजना" बनाकर जल प्रवाह को सुगम बनाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

(ख) प्रदेश के प्रत्येक जनपद में आवश्यकतानुसार डीसिल्टेशन, चैनेलाइजेशन, कोर्स करेक्शन आदि से सम्बन्धित कार्य उचित तकनीक का उपयोग कर वांछित कार्यवाही की जाए। नदी की जल गुणवत्ता में वृद्धि, पर्याप्त जल उपलब्धता व जैव विविधता संरक्षण के साथ-साथ अतिक्रमण से बचाव के दृष्टिगत नदियों के किनारों व उनके बेसिन (कैचमेन्ट) क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण कराया जाए।

(ग) नदियों के किनारे मृदा जल संरक्षण के समस्त कार्यों यथा चैक डैम, वॉटर हारवेस्टिंग आदि संरचनाओं के निर्माण व उनके रख-रखाव का कार्य उच्च गुणवत्ता से पूर्ण किया जाए।

(घ) नदियों के बेसिन (कैचमेंट) क्षेत्र के जल स्रोतों के संरक्षण व पुनर्जीवन हेतु इन क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले सभी तालाबों का संरक्षण कराया जाय। तथा तालाबों/जलस्रोतों के किनारे वृक्षारोपण का कार्य अनिवार्य रूप से कराया जाए।

2. मा0 मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये उक्त निर्देशों के क्रम में पूर्व में जारी शासनादेश संख्या-29भा0स0/76-2-2022/05एन.जी./2020टी.सी.दिनांक 05.04.2022 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

-2/-

472

जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर 21/1/26

C.D.O

आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ 17/1/26

अपर आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ 14-1-26

DFO

Scanned with OKEN Scanner

(क) नोडल विभाग यथा नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अन्तर्गत उ0प्र0 की छोटी एवं सहायक नदियों को तकनीकी संस्थाओं के विशेषज्ञों के सहयोग से जिला गंगा समितियों द्वारा पुनरोद्धार और कायाकल्प किया जायेगा, जिसका अनुश्रवण मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा।

(ख) उ0प्र0 की छोटी एवं सहायक नदियों का पुनरोद्धार एवं कायाकल्प हेतु जनपद स्तर पर गठित जिला गंगा समिति को उक्त दिये गये निर्देशानुसार समस्त सहयोगी विभागों द्वारा उनके कार्यक्षेत्र के अनुसार सहयोग प्रदान किया जायेगा तथा तकनीकी सहयोग हेतु नामित तकनीकी संस्थानों यथा गंगा नदी घाटी प्रबंधन एवं अध्ययन केन्द्र, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर एवं सहयोगी संस्थानों (BBAU-Lucknow, NIH-Roorkee, IIT-BHU) द्वारा सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

(ग) तदनुसार पूर्व में मण्डल स्तर पर गठित समिति निम्नवत् रहेगी:-

क्रं0 सं0	पदनाम एवं विभाग	विभाग	पद
1	मण्डलायुक्त		अध्यक्ष
2	संबंधित जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला गंगा समिति		सदस्य
3	अपर आयुक्त/नामित अधिकारी	मनरेगा, उत्तर प्रदेश	सदस्य
4	नामित अधिकारी	राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
5	नामित अधिकारी	राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उ0प्र0 लखनऊ	सदस्य
6	मुख्य विकास अधिकारी	ग्राम्य विकास विभाग	सदस्य
7	अपर जिलाधिकारी/मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग	सदस्य
8	प्रभागीय निदेशक/ वन मण्डल अधिकारी	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	सदस्य
9	उप निदेशक	पंचायती राज विभाग	सदस्य
10	नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी	नगरीय निकाय	सदस्य
11	उप निदेशक	कृषि विभाग	सदस्य
12	अधीक्षण अभियन्ता	लघु सिंचाई विभाग	सदस्य
13	अधीक्षण अभियन्ता	भूगर्भ जल विभाग	सदस्य
14	उप निदेशक	मत्स्य विभाग	सदस्य
15	उप निदेशक	उद्यान विभाग	सदस्य
16	संबंधित तकनीकी विशेषज्ञ	C-Ganga/IIT-kanpur, BBAU-Lucknow, NIH-Roorkee, IIT-BHU	सदस्य
17	संयुक्त विकास आयुक्त	ग्राम्य विकास विभाग	सदस्य सचिव-प्रशासनिक
18	मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता 473	सिंचाई एवं जल संधान विभाग	सदस्य सचिव-तकनीकी

Scanned with OKEN Scanner

(घ) <u>मण्डल स्तरीय समिति के कार्यक्षेत्र एवं गतिविधियाँ:-</u>

- अन्तर्मण्डलीय/अन्तर्जनपदीय नदियों हेतु मण्डलायुक्तों द्वारा आपसी समन्वय कर कार्ययोजना बनाये जाने हेतु जनपदों को निर्देशित किया जाए।
- मण्डलायुक्त द्वारा मण्डल स्तर पर प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में बैठक आयोजित करायी जाए।
- समिति के द्वारा जनपद स्तर पर छोटी व सहायक नदियों का चिन्हिकरण, मैपिंग व पुनरोद्वार तथा कायाकल्प की रणनीति/कार्ययोजना तैयार कर एवं अनुश्रवण कराया जाए।
- समिति द्वारा जनपद स्तर पर जिला गंगा समिति के द्वारा तैयार की गयी रणनीति का अनुमोदन कराया जाए।
- राज्य गंगा समिति उ0प्र0 को त्रैमासिक बैठकों में जनपदवार किये गये कार्य की प्रगति की स्थिति से अवगत कराया जाए।
- समिति के द्वारा छोटी व सहायक नदियों की 02 कि0मी0 की परिधि के अन्तर्गत स्थित भूमि/नदी क्षेत्र का चिन्हिकरण कराया जाए तथा अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(ङ) <u>नदियों के पुनरोद्वार हेतु जिला गंगा समिति के दायित्व:-</u>

- जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला गंगा समिति द्वारा जिला स्तर पर उक्त कार्य की आवश्यकतानुसार उपसमिति गठित की जाए।
- जिला स्तर पर उक्त कार्य हेतु मुख्य विकास अधिकारी नोडल होंगे तथा उपायुक्त, श्रम रोजगार (मनरेगा), जिला पंचायत राज अधिकारी, पंचायती राज विभाग तथा अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग सह नोडल होंगे।
- जनपद स्तर पर छोटी व सहायक नदियों का चिन्हिकरण, मैपिंग व पुनरोद्वार तथा कायाकल्प की रणनीति/कार्ययोजना तैयार की जाए तथा ग्राम पंचायत विकास योजना में उक्त को सम्मिलित करते हुए अनुश्रवण कराया जाए।
- नदियों के बहाव क्षेत्र का सीमांकन किये जाने हेतु राजस्व विभाग द्वारा कार्यवाही की जाए।
- नोडल अधिकारी द्वारा छोटी नदी के पुनरोद्वार कार्यो के विकसित किये गये पोर्टल (www.smcgup.org) पर डाटा प्रविष्टि कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- नोडल अधिकारी पुनरोद्वार कार्य की पाक्षिक तथा जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला गंगा समिति द्वारा मासिक समीक्षा की जाए।
- पुनरोद्वार कार्यो को और प्रभावी बनाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार की गतिविधियों की जाए तथा कार्यक्रम को जन अन्दोलन से जोड़ा जाए।

3. <u>वित्त पोषण:-</u>

उक्त पुनरोद्वार की कार्ययोजना हेतु निम्नानुसार वित्त पोषण किया जाए:-

(क) जनपद स्तर पर सहयोगी विभागों द्वारा उनके कार्य क्षेत्र के अनुसार गतिविधियों हेतु कर्न्वजेन्स के माध्यम से।

-4/-

... 2021-2-नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग-Part(3) (Computer No. 1609058)
...from eOffice by ... RO (NJ)- NBAW, ... नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग on 12/01/2026 10:25 AM

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

(ख) शहरी क्षेत्र (नगर निगम/विकास प्राधिकरण/नगर पालिका/नगर पंचायत) व ग्रामीण क्षेत्र (जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत/ग्राम पंचायत) के राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग के मद से नियमानुसार।

(ग) नदी की डीसिल्टिंग कार्य हेतु सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के माध्यम से कार्य कराये जायेंगे। परिसम्पत्तियों से आय प्राप्त करने हेतु सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-113/2019/718/19-27सिं0-4-28(डब्ल्यू)/2019, दिनांक 02 अप्रैल, 2019 के अनुसार कार्यवाही की जाय।

(घ) जिला प्रशासन द्वारा सी.एस.आर. के माध्यम से।

(ङ) जन आंदोलन के द्वारा जन सहभागिता के माध्यम से।

4. नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर कई विभागों के बीच अभिसरण (Convergence) एवं समन्वय आवश्यक है, अतः संबंधित विभागों द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

(i) <u>पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग:-</u> नदी के पारिस्थितिक तंत्र, जैव विविधता संरक्षण, अतिक्रमण से बचाव हेतु सघन वन रोपण (catchment area treatment) और वन्य जीव आवासों की बहाली के लिये सहयोग प्रदान करेगा। साथ ही नदी संबंधित मानचित्र, आरक्षित वन (Reserve Forest) वेटलैण्ड के संबंध में सूचना उपलब्ध करायेगा तथा मानसून अवधि में कार्य न किया जाना सुनिश्चित करेगा।

(ii) <u>कृषि और बागवानी विभाग:-</u> जल उपयोग दक्षता में सुधार (जैसे Drip Irrigation को बढ़ावा देना), फसल चक्र में बदलाव और कृषि अपवाह को कम करने के लिये किसानों के साथ मिलकर काम करेगा।

(iii) <u>ग्राम्य विकास विभाग:-</u> मनरेगा जैसी योजनाओं का उपयोग करके जल स्त्रोत (तालाबों इत्यादि) के संरक्षण व पुर्नजीवन, नई संरचनाओं के निर्माण, ग्रे वॉटर प्रबंधन, नदी तटबंधों पर कार्य, पर्याप्त जल उपलब्धता और वनीकरण के लिये सहयोग प्रदान करेगा।

(iv) <u>नगर विकास/नगर स्थानीय निकाय विभाग:-</u> शहरों से निकलने वाले सीवेज, खुली नालियों और ठोस कचरे के प्रबंधन और उपचार हेतु उत्तरदायी होगा तथा पर्याप्त जल उपलब्धता व जल गुणवत्ता में वृद्वि किये जाने के संबंध में कार्ययोजना तैयार करेगा तथा एस.टी.पी. के सुचारू संचालन हेतु उत्तरदायी होगा।

(v) <u>प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड:-</u> औद्योगिक और अन्य स्त्रोतों से होने वाले प्रदूषण की निगरानी और उसे नियंत्रण करने हेतु कार्यवाही करेगा, साथ ही नदी की जल गुणवत्ता की निगरानी करेगा।

(vi) <u>सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग:-</u> जल प्रवाह के प्रबंधन, नहरों के रख-रखाव और सिंचाई के लिय पानी के उचित वितरण में शामिल नदी की डीसिल्टेशन, चैनेलाइजेशन, कोर्स करेक्शन, पर्याप्त जल उपलब्धता के लिये Convergence से कार्य करेगा। नदी से संबंधित पूर्व बाढ़ की सूचना उपलब्ध करायेगा तथा अतिक्रमण से बचाव हेतु कार्य करेगा।

(vii) <u>लघु सिंचाई विभाग:-</u> कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने तथा भूजल पर निर्भरता कम करने, मृदा जल संरक्षण हेतु छोटे सिंचाई स्त्रोतों (चेक डैम, बोरवेल, पम्पसेट, ड्रिप/स्प्रिंकलर) तथा वॉटर हारवेस्टिंग आदि संरचनाओं का निर्माण व रख-रखाव करेगा।

-5/-

Scanned with OKEN Scanner

(viii) <u>भू-गर्भ जल विभाग:-</u> भूजल संसाधन का वैज्ञानिक अन्वेषण, आकलन, संरक्षण, सवर्धन, प्रदूषण से बचाव, वॉटर हारवेस्टिंग और सतत प्रबंधन हेतु कार्ययोजना तैयार कर कार्य करेगा।

(ix) <u>मत्स्य विभाग:-</u> मत्स्य उत्पादन हेतु नियम लागू करना, मत्स्य संसाधनों का सर्वेक्षण व भौगोलिक जानकारी विकसित करना तथा इस संबंध में प्रशिक्षण आदि देगा।

(x) <u>विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग/तकनीकी संस्थान:-</u> IIT's जैसे संस्थानों से नदी पुनरोद्धार के लिये तकनीकी मॉडल और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने में सहायता प्राप्त की जा सकती है।

(xi) <u>स्थानीय प्रशासन और जिला गंगा समितियों:-</u> स्थानीय स्तर पर निगरानी को बढ़ावा देकर नदी पुर्नजीवन जनान्दोलन का रूप देगा।

(xii) <u>पंचायती राज विभाग:-</u> ग्राम स्तर पर विभाग द्वारा तैयार Planning document में नदियों के पुनरोद्धार कार्य को सम्मिलित किया जाय। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत के अन्तर्गत राज्य वित्त आयोग एवं केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि से अनुमन्य प्राविधानों के अनुरूप अभिसरण किया जायेगा।

(xiii) <u>Corporate Social Responsibilities (CSR):-</u> जनपदो में CSR की धनराशि से अन्य मदों के साथ Convergence से किया जा सकता है।

2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार जनपदों में कार्ययोजना बनाते हुए छोटी एवं सहायक नदियों के पुनरुद्धार और कायाकल्प कराये जाने का कार्य सुनिश्चित कराया जाए।

भवदीय,

Digitally signed by
ANURAG SRIVASTAVA
(अनुराग श्रीवास्तव) 2026
16:56:45 अपर मुख्य सचिव।

-6/-

File No. 76-20987/14/2021-2-नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग-Part(1) (Computer No. 1609031)
Generated from eOffice by सतीश चंद जोशी, RO (A)- NARW, कर्यता अधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग on 12/01/2026 10:13 AM

No: Pr-23012/12/2022

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

1st Floor
Major Dhyan Chand, National Stadium
India Gate, New Delhi-110002
Dated: - 14th December, 2023

To,
Project Director
SMCG, Uttar Pradesh
Plot No -18, Sector -7
Gomti Nagar Vistar Yojna
Lucknow- 226010

Sub: : **Administrative Approval and Expenditure Sanction for 'Development of Shivpur Ghat at Sati Ghat in Ballia, Uttar Pradesh" under Namami Gange Mission - II, with 100% central sector support at an estimated cost of Rs.8.25 Crore (Rupees Eight Crore Twenty-Five Lakh only).**

Sir,

I am directed to convey the grant of Administrative Approval and Expenditure Sanction for the project of **'Development of Shivpur Ghat at Sati Ghat in Ballia, Uttar Pradesh**"under National Ganga Plan (NGP) - (Non EAP) budget head of Namami Gange Mission - II, with 100% central sector support at an estimated cost of **Rs. 8.25**

crore **(Rupees Eight Crore Twenty-Five Lakhs only). (Inclusive of GST),** with the following major components:

S. No.	Ghat	Work
1	**Shivpur Ghat**	70 mtr. long ghat 5 no solar high mast lights 2 no. s changing rooms 3 no. s toilets seating benches drinking water facility

2. *The summary of cost is given at* ***Annexure-I.***

3. Administrative Approval and Expenditure Sanction for the project is granted subjected to General & Technical conditions as per **Annexure-II,** Specific conditions and directions of EC as per **Annexure III** and Financial conditions as per **Annexure IV.**

4. The period of completion of the project is **15 months (fifteen months)**, which includes **3 months** for bidding and **12 months** for construction from the date of issue of AA&ES. The procurement of goods and services shall be made strictly as per the NGRBA programme framework' and various other guidelines of NMCG. The detailed schedule of the project implementation is given in **Annexure-V.**

5. Any cost escalation over and above the sanctioned cost attributable to State Government, including due to delay in land acquisition, change in scope post approval etc., will be borne by State Government concerned.

6. The grantee institution i.e. the State Mission for Clean Ganga (SMCG-Uttar Pradesh) is a registered society of the State Government constituted with the objective

Scanned with OKEN Scanner

of effective implementation of the Namami Gange programme activities at the State level, and the State is responsible in the long term for the conservation and health of the state's stretch of the river Ganga.

7. The sanctioned cost of the project will be borne from the National Ganga Plan - - non EAP budget head of Namami Gange Mission - II and expenditure incurred will be booked under the component **'Nirmal Ganga - Infrastructure Development and Asset Creation – River Front Management - Rehabilitation and Development of river fronts/ghats, crematoriums and river front activities**". The NMCG/Government of India reserves the right to withdraw the sanction at any stage, if it is convinced that the fund has not been properly utilized or appropriate progress is not being made.

8. In case of violation of any of the conditions of the grant or in case of closure or dissolution of the grantee organization, the Government shall take possession of all the assets of the organization acquired out of the Government grants and use them in any manner deemed appropriate or to recover from the organization the value of such assets at its discretion.

9. Funds shall only be sanctioned once the land has been acquired by the State and the same is intimated to NMCG.

10. This AA&ES is issued based on the appraisal and sanction of the Executive Committee vide its 52nd meeting held on the 14th November, 2023, as well as the approval of Director General – National Mission for Clean Ganga vide e-office Note#41 dated 13.12.2023 and concurrence of ED (Finance), NMCG vide e-office Note#31 dated 02.12.2023.

Yours faithfully,

(बिनोद कुमार)

निदेशक (परियोजनाए), एन एम सी जी

Scanned with OKEN Scanner

Copy forwarded for information and necessary action to: -

1) The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh
2) The Program Director, State Mission for Clean Ganga – UP, Plot No-18, Sector-7, Gomti Nagar Extension, Lucknow -226010
3) Superintending Engineer, Irrigation Division- Prayagraj- UP

Copy forwarded for information to: -

4) PS to Hon'ble Minister – Jal Shakti, Shram Shakti Bhawan, N. Delhi-110001
5) PPS to Secretary, DoWR, RD & GR, Shram Shakti Bhawan, New Delhi-110001
6) PS to DG / ED(Projects) / ED(Finance) / ED(Technical) / ED (Admin.), NMCG, N. Delhi
7) Sanction Folder/Guard File/MIS Division NMCG

(बिनोद कुमार)
निदेशक (परियोजनाए), एन एम सी जी

Scanned with OKEN Scanner

Annexure-I

Summary of cost for the project "Development of Shivpur Ghat at Sati Ghat in Ballia, Uttar Pradesh"

(Amount in Rs 8.25 Cr.)

Sr No.	Item of work	Quantity	Unit	Rate (Rs)	Rate as per NMCG Amount (Rs.)
1	A- Preliminary				
	(a) Survey	1	Job	L/S	25000
				Total	**25000**
2	B- Land				
	(a) Permanent Land	0.63	Hect.	3000000X2	0
	(b) Temporary Land		Hect.	0	0
				Total	0
3	C- Work				
	(i) Cost of works- Ghat 60mX69m	1	Job	72316840.50	66651328.12
	(ii) High Mast LED Light				236500
	(iii) Changing room 2 Nos. 15X8X10 ft				500000
	(iv) Basic Amenities				510000
	(v) Sign Board				498600
	(vi) Toilet 2 Nos (3 units in each block)				900000
				Total	**69296428.12**

Scanned with OKEN Scanner

				Total (A+C)	69321428.12
				Total (A+B+C)	
4	add @ 18% GST				12477857.06
				Total	81799285.18
5	Contingency 1%				693214.28
				Total	82492499.46
				Say Rs.	824.92 Lacs
				Say Rs.	8.25 Crore

No O&M cost is included in the project. The O&M will be taken up by local ULB at the completion of construction.

·A maximum 4% each of AA&ES basic capital cost/ awarded capital cost (whichever is lower) is admissible towards (a) DPR preparation and (b) supervision fees. However, payments for DPR preparation and supervision fees to Executing Agencies (EAs)/ Consultants are to be made as per actuals based on the scrutiny of supporting documents furnished by them for such claims (Reference: NMCG circular No. No. G-35/10/2020-BUDGET NMCG dated 19.01.2023)

***

Scanned with OKEN Scanner

General & Technical conditions on Administrative Approval & Expenditure Sanction for the project on "*Development of Shivpur Ghat at Sati Ghat in Ballia, Uttar Pradesh*"

i. The **UP Irrigation - Ballia shall be the Executing Agency (EA)** of the project to be implemented under the guidance of the **SMCG-UP**, in coordination and consultation with the ULB and overall monitoring of the National Mission for clean Ganga (NMCG) as per provisions laid down in the NGRBA programme framework and needs to be suitably aligned with the 'Strategic Sanitation Plan'/ 'City Sanitation Plan'/ 'Master Plan' of the project town. Also, synergy shall be ensured with other Central/State sponsored programme like JnNURM, UIDSSMT etc. in the city to avoid any overlap/ duplication.

ii. State Government/ Executing Agency shall comply with all the observations of TPA/ NMCG before bidding and during implementation wherever possible.

iii. State Government/ Executing Agency shall follow the applicable procurement procedures.

iv. State Mission for Clean Ganga (**SMCG-UP**), which is a registered society, shall be responsible for overall planning, management and effective implementation of the project at state level.

v. **ULB/ Nagar Nigam** shall be responsible for ensuring commitment to ownership, commitment to reforms for sustainable O&M, and community involvement.

vi. The detailed project **implementation plan, detailed design and engineering** of the project shall be undertaken by respective executing agencies based on extensive

Scanned with OKEN Scanner

survey and investigation before execution. Disaster management concerns shall also be taken into account while executing the project.

vii. Develop a **safety plan** for each contract. All injuries and, or safety violations should be reported to a designated Safety Officer.

viii. Guidelines issued by Ministry of Finance (MoF) and Ministry of Home Affairs (MHA) and other governing organizations regarding **disaster management** as applicable be adhered to during project execution.

ix. Executing Agency need to follow all the **observation of NMCG, and Third Party Inspection (TPI) agency**, if any during the project implementation.

x. All components of the project shall be **completed within specified time limits** and the resources and outputs and outcomes are to be ensured as envisaged in the approved project. **Completion Report and certificate** shall be submitted to NMCG on completion of the project.

xi. Any additional component relevant for project or any component require modification or deletion, may be added or modified or deleted as the case may be, only with the prior **approval of the Competent Authority at NMCG.**

xii. Any defect arising during **DLP** shall be corrected by the Executing Agency without any additional cost to NMCG.

xiii. Strict compliance with time and cost should be ensured by Executing/ Implementing Agency. No time and cost over-run is permitted without prior approval of NMCG.

xiv. **Staff** that may be employed for preparation, execution or operation of the project by the EA are not to be treated as employees of the SMCG/ NMCG. The deployment of such staff at the time of completion or termination of the project will not be the concern or responsibility of the SMCG/ NMCG.

Scanned with OKEN Scanner

xv. **Optimal utilization of the assets** relating to the project and created under Ganga Action Plan or any other Central/ State Plan shall also be ensured by the SMCG/ EA/ ULB.

xvi. All data, records, documents and material related to the project shall be **stored properly** and catalogued by the SMCG/ EA for reference and retrieval including regular uploading/ disclosure/ updating of such data on website.

xvii. The State/SMCG/EA shall ensure that all provisions of the **RTI Act** are adhered to as far as information pertaining to the project is concerned.

xviii. The State/ SMCG/ ULB shall ensure that **public is informed in the State/ city** regarding implementation of the project and soliciting their co-operation and views as applicable.

xix. **Conditions/ commitments** indicated in the Executive Committee Memorandum, Minutes and other documents including those to be fulfilled before finalizing the bid document(s) shall be strictly adhered to in the project implementation and management. The SMCG will ensure fulfillment of such conditions before finalizing the bid(s) by the EA.

xx. The SMCG/ EA shall take all necessary legal and executive measures to ensure adequate resources are available for **operation & maintenance of the assets** created under the Project to fulfill its mandate.

xxi. Executing Agency is **not permitted to seek or utilize funds** for the same purpose from any other organization (Government, semi-Government, autonomous or private) without prior approval of the NMCG.

Scanned with OKEN Scanner

xxii. It is the responsibility of the SMCG/ Executing Agency / ULB to ensure that the **assets are exclusively used for the purpose for which funds are sanctioned** and to maintain the assets and their records properly.

xxiii. All the assets acquired/created out of the central funds shall not be disposed of, encumbered, or utilized for any purpose other than that for which sanctioned without prior **approval of NMCG.**

xxiv. Any interest earned on grant-in-aid will **mandatorily** be remitted to the Consolidated Fund of India **immediately after finalization of Accounts, as stipulated in Rule 230 (8) of GFR 2017.**

2 Submission of Monthly and Quarterly Physical Progress Report (MPPR/QPPR):

i. The Monthly Physical Progress Reports (MPPRs) shall be submitted by the 10th day of every month regularly by the Executing Agency to the NMCG in a mutually developed format. The Quarterly Physical Progress Report (QPPRs) shall be submitted to the NMCG within 30 days from the end of each quarter.

ii. The signing officers will indicate her/his name and designation in full in capital letters and commencement of processing the case, ink-signed MPPR must follow by Post.

iii. Consistency between physical progress and expenditure shall be maintained and reasons for substantial variations i.e., more than 10% shall be appropriately explained against each item.

3. Inspection and Monitoring:

i. The State Mission for Clean Ganga (SMCG) shall ensure close monitoring and evaluation of progress of the project, and also monitor implementation performance of the EA.

Scanned with OKEN Scanner

ii. The SMCG shall ensure appointment of agency(ies) for third party inspection (TPI)/ evaluation of the project strictly as per letter No. A-12012/2/2010-NRCD-II dated 16th September, 2010. The EA through the SMCG shall submit copies of the TPI Reports along with their responses/comments to the NMCG. Releases of funds will be subject to compliance of TPI reports.

iii. NMCG may depute any person to visit the SMCG/ EA for the purpose of monitoring its work and accounts of the SMCG. Full co-operation shall be provided by the EA to the persons deputed for inspection.

iv. Time and cost overrun leading to delay in implementation of projects is viewed with serious concern by the Central Government and as per instructions contained in Cabinet Secretary's D.O. letter No. 261/1/10/2000-Cabinet, dated June 4, 2001 read with Planning Commission's D.O. letter No. O-14015/2/98-PAMD, dated 19.08.1998, mandatory review of the project must be carried out from time to time so as to assess the expenditure trend and time schedule of the project and appropriate action against those responsible for delay shall be taken, in accordance with the instructions.

v. The Director General, NMCG may monitor overall progress of project periodically from time to time.

4. Conditions regarding adoption/maintenance of ghats

i. State has to explore and engage a suitable agency (NGO /Socio-cultural agency / ULB / Gram Panchayat) to takeover O&M after completion of construction.

ii. State authorities must also explore to get an endowment created through some private trust/fund (with financial support coming in from public, ashrams, industries, institutions, NGOs, etc.) to take care of the O&M expenditure of the assets created on Ghats and Crematoria beyond GOI support period.

Scanned with OKEN Scanner

iii. *Measures such as engaging the Ashrams, Matths, industries, NGOs, Institutions etc. for adoption of certain ghats and crematoria by them may be explored and encouraged by State.*

iv. *Land, wherever applicable, will have to be provided by the State Government.*

Scanned with OKEN Scanner